

फर्द अहकाम

रामचन्द्र वनाम क्षमरी

15/2/2014

दिनांक आज या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

11/6/10

पञ्जावली आज दिनांक को  
 न्याय आपके हजर कम्प  
 दारोना में प्रस्तुत हुई  
 वादी प्रकाश व भुवारी पुत्र  
 बाबूलाल उपनिष्ठा पञ्जावली  
 का अदालतकन किया।  
 पूर्व आदेशों की पालना  
 में वादीराजो ने नोटिस  
 भरण पैसा नहीं किया।  
 इसीलिए नोटिस पैसा न  
 करने के कारण OR  
 की धारा 13(2) के  
 तहत प्रकरण को रद्द  
 किया जाय है पञ्जावली  
 फौजदारी मुकदमे नुसार नुसार नुसार  
 से कम है वाद व नि  
 कारण रद्द है।

11/6/10

भुवारी व बाबूलाल



रामचन्द्र अधिकारी  
जमवारामगढ़